संख्या- 33/2019/469/22-4-18-127(ब)/99

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 जून, 2019

विषय- जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10368/नम-3/44/कुशीनगर/2019, दिनांक 10.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु शासनादेश संख्या-1/2018/22-4-18-127(ब)/99, दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा नवसृजित जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-लमुहा, भटवलिया, मजरा केवल छपरा एवं केवल छपरा में स्थित चयनित काश्तकारों की 24.660 हे0 भूमि के क्रय हेतु रू0 40,98,77,290/-(रूपया चालिस करोड़ अट्ठान्नवे लाख सतहत्तर हजार दो सौ नब्बे मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 20,00,00,000/- (रूपया बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-लमुहा, भटवलिया, मजरा केवल छपरा एवं केवल छपरा में स्थित चयनित काश्तकारों की 24.660 हे0 भूमि क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 20,98,77,290/- तथा निबन्धन शुल्क रू0 25,34,760/- अर्थात कुल रू0 21,24,12,050/-(रूपया इक्कीस करोड़ चौबीस लाख बारह हजार पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि स्वीकृत किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु भूमि क्रय एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2019/469(1)/22-4-2019-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।